एच. एल. जैन बनाम हरियाणा राज्य (जस्टिस कौशल)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

सिविल पुनरीक्षण

जस्टिस ए. डी. कौशल के समक्ष

याचिकाकर्ता - एच. एल. जैन

बनाम

प्रतिवादी - हरियाणा राज्य

1973 का सी.आर. संख्या 445.

5 सितम्बर 1973

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (1966 का XXXI) - धारा 59 और 92 के तहत पंजाब राज्य द्वारा हरियाणा राज्य का हिस्सा बनने वाले स्थान पर स्थित संपत्ति की बिक्री के अनुबंध के आधार पर नियुक्ति तिथि पर पंजाब राज्य की अनुमति के साथ मुकदमा दायर किया जा रहा है। अदालत कार्रवाई के उसी कारण पर एक और मुकदमा दायर कर सकती है-हरियाणा राज्य-मौसम इस तरह का मुकदमा दायर कर सकता है-पंजाब कोर्ट फीस स्टांप नियम (1934) -नियम 4-खरीदी गई कोर्ट फीस पर स्टांप विक्रेता द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रावधानों की पुष्टि नहीं करता है नियम-क्रेता-मौसम का उपयोग उसी राज्य

में किसी अन्य स्थान पर मुकदमा भरने के लिए एक उप कोषागार से अदालत शुल्क की ऐसी उद्धरण शुल्क स्टांप-खरीद का उपयोग कर सकता है - चाहे वह वर्जित हो। यह माना गया कि 1966 में पंजाब पुनर्गठन की धारा 59 की उपधारा एक के प्रावधानों के तहत एक स्थान पर स्थित संपत्ति की बिक्री का अनुबंध मौजूदा द्वारा किया गया था जो नियुक्ति के दिन हरियाणा राज्य के क्षेत्र का हिस्सा बन गया था। पंजाब राज्य के प्रयोजनों के लिए उस दिन से और उस दिन से ऐसा अनुबंध हरियाणा राज्य द्वारा किया गया माना जाता है और अनुबंध के तहत सभी अधिकार और देनदारियां उत्तराधिकारी राज्य के रूप में हरियाणा राज्य को हस्तांतरित हो जाती हैं। क्या अधिकारों और देनदारियों के संबंध में कोई मुकदमा पंजाब राज्य में था, लेकिन ऐसा अनुबंध नियुक्ति के दिन लंबित है, तो अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के आधार पर उत्तराधिकारी राज्य, यानी हरियाणा राज्य, होना चाहिए यह माना जाता है कि उस दिन मौजूदा पंजाब राज्य को प्रतिस्थापित कर दिया गया था और कार्यवाही को उसके बाद भी जारी माना जाना चाहिए जैसे कि प्रतिस्थापन वास्तव में हुआ था, इस प्रभाव के बावजूद कि हरियाणा राज्य एक पक्ष के रूप में नेतृत्व नहीं कर रहा था। को खाने के। यदि पंजाब राज्य उसी कार्रवाई के कारण पर एक और मुकदमा दायर करने के लिए अदालत की अनुमति से मुकदमा वापस ले लेता है तो मुकदमा वापस लेने के लिए आवेदन

हरियाणा राज्य द्वारा किया गया माना जाएगा और मुकदमा दायर करने की अनुमति दी गई है। कार्रवाई के उसी कारण पर नया मुकदमा, लेकिन इसे हरियाणा राज्य की अनुमति के रूप में माना जाना चाहिए और यह राज्य कार्रवाई के उसी कारण पर फ्रांसीसी मुकदमा दायर कर सकता है।

यह माना गया कि पंजाब कोर्ट फीस स्टेम नियम 1934 लगभग स्टांप-विक्रेताओं के लिए प्रशासनिक निर्देशों की प्रकृति में हैं, जो कोर्ट फीस के तहत वसूले जाने वाले शुल्क को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टेम के प्रकार और संख्या को विनियमित करते हैं, और इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। स्टाम्पों की बिक्री के लेन-देन की वैधता. नियमों के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शुल्क दर्शाने के लिए न्यूनतम संभव संख्या में स्टांप का उपयोग किया जाए ताकि विक्रेताओं को स्टांप प्रदान करने की लागत अनावश्यक रूप से न बढ़े। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा किया गया है, विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि जब भी आवश्यक मूल्य का एक भी स्टांप उपलब्ध न हो तो नियम 4 में उल्लिखित प्रकार का प्रमाण पत्र दें। नियम का उद्देश्य क्रेता को दंडित करना नहीं है यदि उसे कम मूल्यवर्ग के स्टैम्प उपलब्ध कराए जाते हैं जबकि स्टाम्प विक्रेता के पास आवश्यक मूल्य का एक भी स्टाम्प उपलब्ध है।

एच. एल. जैन बनाम हरियाणा राज्य (जस्टिस कौशल)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

क्रेता को स्वाभाविक रूप से स्टाम्प विक्रेता के पास उपलब्ध विभिन्न टिकटों के मूल्यवर्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी और न ही वह स्टाम्प विक्रेता को आवश्यक मूल्यवर्ग का एक भी स्टाम्प देने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि स्टांप विक्रेता अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाने में विफल रहता है और नियमों का उल्लंघन करता है, तो यह मानना □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□, भले ही वह ऐसे किसी भी उल्लंघन से अनभिज्ञ हो। यदि स्टांप विक्रेता द्वारा खरीदे गए कोर्ट फीस भुगतान पर किया गया समर्थन नियम के प्रावधानों की पुष्टि नहीं करता है, तो वह खरीद के नियमों के अनुसार भुगतान को अपने मुकदमे के संबंध में उचित कोट शुल्क के रूप में उपयोग कर सकता है।

यह माना गया कि उसी राज्य में किसी अन्य स्थान पर भरे जाने वाले मुकदमे के लिए किसी भी उप कोषागार से अदालती शुल्क की खरीद पर कोई कानूनी रोक नहीं है। याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत श्री पीएल सांगी, वरिष्ठ विषय करनाल के आदेश दिनांक 24 मार्च 1973 को संशोधित करते हुए कहा कि वादपत्र पर उचित मुहर लगाई गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील एस.के. जैन।

प्रतिवादी की ओर से महाधिवक्ता (हरियाणा) के लिए वकील एस.सी. कपूर

निर्णय

न्यायमूर्ति कोशल- वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, करनाल के 24 मार्च 1973 के आदेश के संशोधन के लिए प्रतिवादी द्वारा इस याचिका को जन्म देने वाले तथ्य विवाद में नहीं हैं और शीघ्र ही बताए जा सकते हैं। 30 मई 1953 को एक पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से प्रतिवादी ने पानीपत में स्थित एक बटन फैक्ट्री खरीदी। कीमत का एक हिस्सा बयाना राशि के रूप में भुगतान किया गया था और शेष राशि किश्तों में देय थी। 30 सितंबर 1965 को तत्कालीन पंजाब राज्य ने प्रतिवादी के खिलाफ रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। 2,73,733, कीमत और उस पर ब्याज का अवैतनिक शेष है। हालाँकि, 25 जनवरी 1967 को वादी राज्य द्वारा वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, रोहतक, जिन्हें मुकदमे से जब्त कर लिया गया था, को वहाँ से हटने और प्रावधानों के अनुसरण में कार्रवाई के उसी कारण पर एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति के लिए एक आवेदन किया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII के नियम 1 के अनुसार। आवेदन उसी दिन मंजूर कर लिया गया क्योंकि विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश की राय थी कि औपचारिक दोष के कारण मुकदमा विफल हो जाना चाहिए।

(2) 1 नवंबर 1966 को, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (1966 का अधिनियम संख्या 31 और इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) लागू हुआ जिसके परिणामस्वरूप

हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ। 1 अगस्त, 1968 को, हरियाणा राज्य ने प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें से रुपये की वसूली के लिए यह याचिका दायर की गई है। 3,07,548/- उसी कार्रवाई के कारण पर जिस पर पंजाब राज्य ने पहले मुकदमा दायर किया था। भुगतान की गई अदालती फीस रुपये के मूल्य की थी। 5,370/- और इसे 15 प्रभावित टिकटों और 3 चिपकने वाले टिकटों द्वारा दर्शाया गया था, जिनमें से 8 रुपये के मूल्य के प्रभावित टिकट थे। 500/- रुपये मूल्य के प्रत्येक 3 प्रभावित टिकट। 400/- प्रत्येक मैंने रुपये के मूल्य का स्टाम्प लगाया। 70/- और एक रुपये मूल्य के 2 चिपकने वाले टिकट। 22 मार्च 1968 को पानीपत से एक लेनदेन में 1/- प्रत्येक (कुल मूल्य रु. 5,272/-) खरीदा गया था, जबकि रु. के मूल्य का एक प्रभावित स्टांप खरीदा गया था। 40/- रुपये का मूल्य और 19 जुलाई 1968 को एक अन्य लेन-देन में 30 रुपये और 25/- रुपये के मूल्य का एक और साथ ही 3 रुपये के मूल्य का एक चिपकने वाला स्टाम्प खरीदा गया था। 500/- रुपये के मूल्य का एक प्रभावित टिकट बोर था। उप-कोषागार अधिकारी पानीपत के हस्ताक्षर के तहत निम्नलिखित पृष्ठांकन:

"नंबर 83 पर, 12 पैसे 500 + 500 + 500 + 500 + 500 + 500 + 500 + 500 + 400 +400 + 400 + 70 +1 +1 = कुल 5,272, मुकदमे के लिए कोर्ट-फी (वसूली के लिए), 2,96,277, हरबंस लाई जैन के विरुद्ध, श्री मौजी राम, क्लर्क के माध्यम से जिला उद्योग अधिकारी, पानीपत को बेचा गया।

(अधोहस्ताक्षर)...,,

एस. टी. पानीपत ।

22-3-68.

"नोट - 5,272/- का कोई (एकल) कोर्ट-फी पेपर नहीं है।

संयुक्त रूप में दिया गया है।

(अधोहस्ताक्षर)...,

एस. टी. पानीपत ।

22-3-68.

(3) प्रतिवादी ने मुकदमा लड़ा और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निवेदन किया वादपत्र पर उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था और हरियाणा दायर करने की अनुमति के कारण राज्य को मुकदमा स्थापित करने का कोई अधिकार नहीं था । एक नया मुक़दमा उसे नहीं, बल्कि पंजाब राज्य को दिया गया था, नया मुकदमा दायर करने का विकल्प नहीं चुना था।

(4) ट्रायल कोर्ट ने चार मुद्दे तय किए, जिनमें से केवल मुद्दे संख्या 1 और 4, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, इस याचिका के निपटान के लिए महत्वपूर्ण हैं:

(1) क्या हरियाणा राज्य को लिखित बयान की प्रारंभिक आपत्तियों के पैरा 1, खंड (ए) से (एफ) में बताए गए कारणों के लिए मुकदमा लाने का कोई अधिकार नहीं है?

(2) क्या वादपत्र पर उचित मुहर नहीं लगी है?

(5) इन दो मुद्दों का निर्णय ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ आक्षेपित आदेश के माध्यम से किया गया था। मुद्दे नंबर 1 पर निर्णय लेते समय न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के कारण मुकदमे का अधिकार हरियाणा राज्य

को हस्तांतरित हो गया और इसलिए वह राज्य नया मुकदमा दायर करने का हकदार है। मुद्दा संख्या 4 के तहत प्रतिवादी ने दो आपत्तियां उठाईं :

(i) कि कोर्ट-फी स्टांप पानीपत के उप-कोषागार से खरीदे गए थे, जबकि मुकदमा करनाल में स्थापित किया गया था, जो नहीं किया जा सका, और
(ii) कोर्ट-फीस बनाने के लिए छोटे मूल्यवर्ग के कोर्ट-फी स्टांप खरीदे गए थे, जिसमें उच्च मूल्यवर्ग के प्रभावित स्टांप शामिल होने चाहिए थे।

(6) पंजाब कोर्ट-फी स्टाम्प नियम 1934 का संदर्भ दिया गया था और प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि 500/- रुपये के मूल्य के एक प्रभावित स्टाम्प पर दिखाई देने वाला और ऊपर निकाला गया विवरण दोषपूर्ण था और उस पर ध्यान नहीं दिया जा सका।

(7) विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश में दोनों आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। यह मानते हुए कि कोर्ट-फी स्टांप पानीपत से खरीदे जा सकते थे, उन्होंने टिप्पणी की कि बटन फैक्ट्री पानीपत में स्थित थी, जहां मुकदमा स्थापित किया गया होगा, लेकिन इस परिस्थिति में कि हरियाणा राज्य इसमें एक पक्ष था, जिस परिस्थिति में संस्था की आवश्यकता हुई। संबंधित नियमों के अनुसार जिला मुख्यालय (करनाल) में मुकदमा दायर किया जाएगा। उन्होंने उपर्युक्त समर्थन को नियमों के पूर्ण अनुपालन में माना और छोटे मूल्यवर्ग के टिकटों से युक्त कोर्ट-फी में कुछ भी गलत नहीं पाया।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का पहला तर्क यह है कि वर्तमान मुकदमा इस कारण से अक्षम है कि हरियाणा राज्य पहले के मुकदमे में कभी भी पक्षकार नहीं था और न ही कार्रवाई के उसी कारण पर एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति दी गई थी। अधिनियम की धारा 59 और 92 के प्रावधानों के मद्देनजर इस विवाद में कोई बल नहीं है। धारा 59 का प्रासंगिक भाग और संपूर्ण धारा 92 नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है :

"59. (1) जहां नियत दिन से पहले मौजूदा पंजाब राज्य ने राज्य के किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में कोई अनुबंध किया है, वह अनुबंध कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किया गया माना जाएगा-

(ए) यदि अनुबंध के उद्देश्य, नियत दिन से, विशेष रूप से उस राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों में से किसी एक के उद्देश्य हैं; और

(बी) यदि अनुबंध के उद्देश्य चालू हैं और उस दिन से केवल पंजाब राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों में से किसी एक के उद्देश्य नहीं हैं, और सभी अधिकार और देनदारियां जो ऐसे किसी अनुबंध के तहत अर्जित हुई हैं, या अर्जित हो सकती हैं, किस हद तक वे मौजूदा पंजाब राज्य के अधिकार या देनदारियां होतीं, यह उत्तराधिकारी राज्य के अधिकार या देनदारियां होतीं या जैसा भी मामला हो, ऊपर निर्दिष्ट पंजाब राज्य का अधिकार या देनदारियां होतीं:

"92. जहां, नियत दिन से ठीक पहले मौजूदा पंजाब राज्य इस अधिनियम के तहत बंटवारे के अधीन किसी भी संपत्ति, अधिकारों या देनदारियों के संबंध में किसी भी कानूनी कार्यवाही में एक पक्ष है, उत्तराधिकारी राज्य जो उस संपत्ति में सफल होता है या उसमें हिस्सेदारी प्राप्त करता है। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के आधार पर उन अधिकारों या देनदारियों को मौजूदा पंजाब राज्य के लिए प्रतिस्थापित माना जाएगा या उन कार्यवाहियों में एक पक्ष के रूप में जोड़ा जाएगा और कार्यवाही तदनुसार जारी रह सकती है।

(9) जैसा कि पहले ही कहा गया है, प्रतिवादी को बेची गई संपत्ति पानीपत में स्थित थी जो नियत दिन (1 नवंबर, 1966) को हरियाणा राज्य के क्षेत्र का हिस्सा बन गई। इसलिए उस दिन से बटन फैक्ट्री की बिक्री के अनुबंध के उद्देश्य विशेष रूप से हरियाणा राज्य के उद्देश्य बन गए और धारा 59 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत (जो कि भाग VI में निहित है अधिनियम का शीर्षक: "संपत्तियों और देनदारियों का बंटवारा") अनुबंध के तहत सभी अधिकार और देनदारियां उत्तराधिकारी राज्य के रूप में उस राज्य को हस्तांतरित हो गईं। उन अधिकारों या देनदारियों के संबंध में पिछला मुकदमा नियत दिन पर लंबित था और "मौजूदा पंजाब राज्य" इसमें एक पक्ष था। इसलिए धारा 92 के प्रावधानों के आधार पर उत्तराधिकारी राज्य अर्थात हरियाणा राज्य को उस दिन "मौजूदा पंजाब राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित माना जाना चाहिए और उसके बाद कार्यवाही को ऐसे प्रतिस्थापन के रूप में जारी माना जाना चाहिए वास्तव में इस तथ्य के बावजूद हुआ था कि हरियाणा राज्य को इसमें एक पक्ष के रूप में नहीं जोड़ा गया था। इसका तात्पर्य यह है कि मुकदमे से वापसी के लिए आवेदन को हरियाणा राज्य द्वारा

किया गया माना जाना चाहिए, हालांकि यह वास्तव में पंजाब के नए राज्य द्वारा किया गया था और बाद वाले को उसी कारण से एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति दी गई थी। कार्रवाई को हरियाणा राज्य की अनुमति के रूप में समझा जाना चाहिए।

(10) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि हरियाणा राज्य धारा 92 के प्रावधानों का लाभ नहीं उठा सकता जब तक कि उसे वास्तव में पहले के मुकदमे में एक पक्ष के रूप में नहीं जोड़ा गया हो। यह तर्क उस अनुभाग की गलत व्याख्या पर आधारित है और इसमें कोई दम नहीं है। अनुभाग में आने वाले शब्दों, "मौजूदा पंजाब राज्य के लिए प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा या उन कार्यवाहियों में एक पक्ष के रूप में जोड़ा जाएगा" को अनुभाग के पहले भाग के प्रकाश में पढ़ा और समझा जाना चाहिए, अर्थात् "जो सफल होता है" या उस संपत्ति या उन अधिकारों या देनदारियों में हिस्सा प्राप्त करता है। धारा का स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि उत्तराधिकारी राज्य संबंधित अधिकार को "सफल" करता है, तो उसे संबंधित कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में प्रतिस्थापित माना जाना चाहिए, लेकिन यदि वह उन अधिकारों को "सफल" नहीं करता है और केवल एक अधिकार प्राप्त करता है उसमें हिस्सा लें तो उसे कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में जोड़ना होगा। वर्तमान मामले में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, हरियाणा राज्य बिक्री के अनुबंध के तहत विक्रेता के अधिकारों को पूरी तरह से प्राप्त करने में सफल रहा, न कि केवल एक हिस्सेदारी के लिए, भले ही वह वास्तव में एक पार्टी के रूप में नहीं जोड़ा गया था। पहले के मुकदमे में इसे अनुभाग में होने वाले डीमिंग प्रावधान का लाभ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार इस विवाद में कोई दम नहीं है कि

हरियाणा राज्य के पास नया मुकदमा लाने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उसे पहले के मुकदमे में एक पक्ष के रूप में नहीं जोड़ा गया था।

(11) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने फिर आपत्ति दोहराई कि प्रतिवादी द्वारा कोई उचित कोर्ट-फी का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि कोर्ट-फी स्टांप पानीपत के उप-कोषागार से खरीदे गए थे, न कि करनाल के स्टांप-विक्रेता से। लेकिन वह आपत्ति के समर्थन में कोर्ट-फीस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान को इंगित करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। पानीपत के उप-कोषागार से कोर्ट-फी स्टांप की खरीद पर कोई कानूनी रोक नहीं है, भले ही मुकदमा करनाल में दायर किया जाना था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि कोर्ट-फी को उचित रूप से खरीदे गए स्टांप द्वारा दर्शाया नहीं गया था।

(12) याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया अंतिम तर्क यह है कि रुपये के मूल्य के प्रभावित टिकटों में से एक पर प्रदर्शित होने वाला समर्थन। 500/- और ऊपर निकाला गया नोट इस कारण से दोषपूर्ण था कि यह पंजाब कोर्ट-फी स्टाम्प नियम 1934 (इसके बाद इसे नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 4 का अनुपालन नहीं करता था। वह नियम इस प्रकार चलता है:

"4. एक भी स्टाम्प उपलब्ध न होने पर स्टाम्प विक्रेता द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र -

एच. एल. जैन बनाम हरियाणा राज्य (जस्टिस कौशल)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

जहां आवश्यक मूल्य का स्टांप उपलब्ध नहीं है, वहां क्रेता को विक्रेता से नीचे दिए गए फॉर्म में इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यह प्रमाणपत्र दस्तावेज़ के साथ चिपकाया जाएगा और उसके साथ दाखिल किया जाएगा: -

(प्रमाण पत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि रुपये के मूल्य का एक ही स्टाम्प। ---------- इस दस्तावेज़ के लिए अवशेष उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बदले में मैंने उपलब्ध अगले कम मूल्य का एक स्टांप प्रस्तुत किया है और एक या अधिक के उपयोग से कमी को पूरा किया है ---------- शुल्क की सटीक राशि बनाने के लिए अगले निचले मूल्यों के स्टाम्प उपलब्ध होना आवश्यक है।

दिनांक -------- स्टाम्प विक्रेता के हस्ताक्षर।"

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

एच. एल. जैन बनाम हरियाणा राज्य (जस्टिस कौशल)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा